

PRIMEMOCK



AN INITIATIVE
BY ABHAS SAINI

Verbal Maths



POLITY 1.0

A Complete Solution
to Indian Polity

Specially designed for
SSC , Railway and other
Competitive Exams

2024

Making Of the Indian Constitution

- The Idea to have a constitution was given by MN ROY in December 1934.
- The Demand of Constituent Assembly was taken up by the Congress Party in 1935 as an official demand. The British accepted this in the August Offer of 1940.
- The Constituent Assembly had 389 representatives, including 15 women. Of which 292 were representatives of Provinces, 93 represented the Princely States & 4 were from the chief commissioner provinces of Delhi , Azmer-Merwara, Coorg & British Baluchistan.
- On 9 December 1946, First meeting was held and Dr. Sachidanand Sinha was elected as Temporary President.
- On 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the Assembly's Permanent Chairman.
- The Constituent assembly had 11 Sessions over 2 years, 11 months and 18 days.
- On 13th Dec 1946, Pt. Jawaharlal Nehru moved the Objective Resolution in the Constituent Assembly of India and On 22 Jan 1947, the Constituent Assembly accepted this Resolution.
- On 22 July 1947, National Flag was adopted.
- On 26 November 1949, Constitution of India was adopted.
- On 24 January 1950, National Anthem "Jana Gana Mana" & National Song "Vande Mataram" was adopted.
- On 24 January 1950, The Members of the Constituent Assembly signed the Constitution of India.
- On 24 January 1950, Dr. Rajendra Prasad was elected as India's First President.
- On 26 January 1950, National Emblem was adopted.
- On 26 January 1950, Constitution of India came into force.

Extra Pointers

- The Constituent Assembly was recognised by Sec 8(1) of the Indian Independence Act, 1947.
- The Drafting Committee of the Constituent Assembly consisted of 7 Members.
- Constitution of India was hand written by Prem Behari Narain Raizada.
- K C Wheare described the Indian Constitution as Quasi-federal.
- K.M called Preamble as the Political Horoscope of Indian Constitution.
- Thakurdas Bhargav called Preamble as the Soul of the Constitution.
- N.A Palkhivala called Preamble as the Identity card of the Constitution.
- 26 November is celebrated as Constitution Day Since 2015.

Chairman of Major Committees of the Indian Constituent

1. Drafting Committee - B.R. Ambedkar
2. States Committee - Jawaharlal Nehru
3. Union Constitution Committee - Jawaharlal Nehru
4. Union Powers Committee - Jawaharlal Nehru
5. Ad hoc Committee on the National Flag - Rajendra Prasad
6. Rules of Procedure Committee - Rajendra Prasad
7. Steering Committee - Rajendra Prasad
8. Provincial Constitution Committee - Vallabhbhai Patel
9. Committee for the Functions of the Constituent Assembly - G.V. Mavalankar

10. House Committee - B Pattabhi Sitaramayya

11. Language Committee - Moturi Satyanarayana

12. Order of Business Committee - K.M. Munshi

13. Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas
- Vallabhbhai Patel

14. Credential Committee - Alladi Krishnaswami Ayyar

Sources of Indian Constitution

Australia

- Concurrent list.
- Freedom of Trade.
- Joint-sitting of the two Houses of Parliament.

Canada

- Appointment of State Governors by the centre.
- Residuary powers vest with the centre.

France

- Concept of "Republic".
- Ideals of Liberty, Equality, and Fraternity.

Germany

- Emergency Provision.
- Suspension of Fundamental Rights during Emergency.

Ireland

- Directive Principles of State Policy.
- Method of Election of President.
- Nomination of members to Rajya Sabha.

South Africa

- Election of members of Rajya Sabha.
- Procedure for Amendment in the Indian Constitution.

Soviet Union (USSR)

- Fundamental Duties.
- Procedure of Five Year Plan.

United Kingdom (UK)

- Bicameralism.
- Cabinet system.
- Council of Ministers
- Office of CAG.
- Parliamentary form of Government.
- Provision of Speaker in Lok Sabha.
- Rule of Law.
- Single Citizenship.

United States of America

- Fundamental Rights.
- Impeachment of the President.
- Judicial Review.
- Post of vice president.
- Preamble.
- Removal of Supreme Court and High Court judges.
- Written Constitution.

Schedules of Constitution

Trick - TEARS OF OLD PM

T - Territory (Name of States & Union Territories)

E - Emoluments (Salaries & Allowances)

A - Affirmations (Oaths)

R - Rajya Sabha (Allocation of Rajya Sabha Seats)

S - Scheduled Areas (Administration of Scheduled Areas)

O - Other Scheduled Areas (Administration on Schedule Areas of Assam, Tripura, Mizoram, Meghalaya)

F - Federal Structure (Division of subjects in three lists : Union List , State List & Concurrent List)

O - Official Language (Language of Union)

L - Land Reforms

D - Anti Defection Law (Disqualification of Member of Parliament)

P - Panchayati Raj

M - Municipal Corporation

Parts of Constitution

Originally There were 22 parts in the Indian Constitution but now there are 25 Parts in the Constitution of India.

Part I - The Union & its Territory (Article 1 to 4)

Part II - Citizenship (Article 5 to 11)

Part III - Fundamental Rights (Article 12 to 35)

Part IV - Directive Principles of State Policy (Article 36 to 51)

Part IV(A) - Fundamental Duties (Article 51A)

Part V - The Union (Article 52 to 151)

Part VI - The State Governments (Article 152 to 237)

Part VII - Deals with states in part B but repealed in 1956 by 7th constitutional amendment act.

Part VIII - The Union Territories (Article 239 to 242)

Part IX - Panchayat (Article 243 & 243(O))

Part IX(A) - The Municipalities (Article 243-P to 243-ZG)

Part IX(B) - The Co-operative Societies (Article 243-ZH to 243-ZT)

Part X - The Scheduled and Tribal Areas (Article 244 to 244-A)

Part XI - Relations between the Union and the States (Article 245 to 263)

Part XII - Finance, Property, Contracts and Suits (Article 264 to 300-A)

Part XIII - Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India (Article - 301 to 307)

Part XIV - Services under the Union and the States (Article 308 to 323)

Part XIVA - Tribunals (Article 323A - 323B)

Part XV - Elections (Article 324 to 329A)

Part XVI - Special Provisions relating to Certain Classes (Article 330 to 342A)

Part XVII - Official Language (Article 343-351A)

Part XVIII - Emergency Provisions (Article 352 to 360)

Part XIX - Miscellaneous (Article 361 to 367)

Part XX - Amendment of the Constitution (Article 368)

Part XXI - Temporary, Transitional and Special Provisions (Article 369 to 392)

Part XXII - Short title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals (Article 393-395)

Important Articles

Article 1-4 (The Union & its Territory)

Article 1 - Name and Territory of the Union

Article 2 - Admission and Establishment of the New State

Article 3 - Formation of New States & alteration of Areas, Boundaries or Names of existing States

Article 5-11 (Citizenship)

Article 5 - Provision for Citizenship

Article 11 - Parliament has powers to make law regarding Citizenship

Article 12-35 (Fundamental Rights)

Total 6 Fundamental Rights in Indian Constitution

Article 12 - Definition of the State

Right to Equality (Article 14 to 18)

Article 14 - Equality before Law

Article 15 - Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

Article 16 - Equal opportunity for all citizen in public employment

Article 17 - Abolition of Untouchability

Article 18 - Abolition of Titles

Article 18(1) - Prohibits Indian States from conferring any title except Military or Academic distinction

Right to Freedom (Article 19 to 22)

Article 19 - Right to Freedom

Article 19(D) - Right to move freely throughout the territory (i.e. India)

Article 20 - Provides protection with respect to a conviction for offences

Article 21 - Protection of Life & Personal Liberty

Article 21(A) - Free Education (6-14 Yrs Children : 86th Amendment 2002)

Article 22 - Protection against arrest & detention in certain cases

Right against Exploitation (Article 23 & 24)

Article 23 - Prohibits Trafficking in Human beings & Forced Labour

Article 24 - Prohibition of Child Labour

Right to Freedom of Religion (Article 25 to 28)

Article 26 - It deals with freedom to manage religious affairs.

Cultural and Educational Rights (Article 29 & 30)

Article 29 - Protection of interests of minorities

Article 30 - Right of Minorities to establish & administer educational institutions

Article 31 - Deleted (44th Amendment)

Right to Constitutional Remedies (Article 32)

Article 32 - Right to Constitutional Remedies (Heart & Soul of Constitution)

Article 33 - Fundamental Rights to Members of Armed force be restricted

Article 35A - Provides special rights and privileges to permanent residents of J&K

Batman, [07-10-2023 15:29]

Article 36-51 (Directive Principles Of State Policy)

Article 36 – Definition of Directive Principles Of State Policy

Article 38 - State to secure a social order for the promotion of welfare of the people

Article 39 - It directs the state to ensure the right of citizens to adequate means of livelihood

Article 39(A) - Promotes equal Justice & Free legal Aid

Article 40 - Institution of Panchayati Raj

Article 42 - Provision for Maternity Relief

Article 43 - Living wage, etc, for workers

Article 43B - Promotion of Cooperative Societies

Article 44 - Uniform Civil Code

Article 46 - Promotion of Educational and Economic interests of SC, ST and other Weaker sections.

Article 48 - Deals with the Organisation of agriculture and animal husbandry

Article 49 - Protection of monuments

Article 50 - Separation of Judiciary from Executive

Article 51 - International Peace & Security

Article 51(A) - Fundamental Duties

There are 11 Fundamental Duties in India

Article 51A (G) - To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and wildlife and to have compassion for living creatures.

Article 52-151 (The Union)

Article 52 - The President of India

Article 53 - Executive Power of the Union

Article 54 - Election of President

Article 55 - Manner of Election of President

Article 58 - Qualification of President

Article 59 - Condition of President Office

Article 60 - Oath of President Office

Article 61 - Impeachment of President

Article 63 - The Vice President of India

Article 64 - The Vice President to be ex-officio chairman the council of States

Article 66 - Election of Vice-president

Article 72 - President has power to pardon

Article 74(1) - Council of Ministers with PM as its Head

Article 75 - PM & Other Ministers appointed by President

Article 76 - Attorney General for India

Article 79 - Constitution of Parliament

Article 80 - Composition of Rajya Sabha

Article 81 - Composition of Lok Sabha

Article 93 - Lok Sabha must have Speaker & Dp. Speaker

Article 98 - A separate Secretarial Staff for each House of the Parliament

Article 102 - Disqualification of MP's

Article 105 - Powers, Privileges etc of the House of Parliament

Article 108 - Joint Sitting of Both Houses

Article 109 - Money Bill cannot be introduced in the Council of States

Article 110 - Deals with Money Bills

Article 112 - Annual Financial Statement (Budget)

Article 114 - Appropriation Bills

Article 117 - Finance Bills

Article 120 - Business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English

Article 123 - President power to promulgate ordinance while parliament in recess

Article 124 - Establishment of Supreme Court

Article 124(2) - Appointment of judges by President

Article 125 - Salaries of Judges

Article 129 - Supreme Court to be a court of record

Article 140 - Ancillary Powers of the Supreme Court

Article 141 - Law declared by the Supreme Court shall be binding in all Courts within the territory of India

Article 142 - Apex Court has power to pass any order

Article 143 - President can send a matter to Supreme Court for consultation

Article 144 - All Authorities Civil & Judicial In Territory of India act in aid of supreme court

Article 148 - Comptroller and Auditor General of India

Article 149 - Duties and Powers of CAG

Article 152 to 237 (The State Governments)

Article 153 - Each State will have Governor

Article 154 - Executive Powers of Governor

Article 161 - Pardoning Power of Governor

Article 166 - It deals with the conduct of Business of the Government of States

Article 167 - Duties of Chief Minister

Article 168 - Constitution of Legislature in State

Article 198 - A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council

Article 213 - Power of Governor to promulgate ordinances

Article 214 - High Courts for each States

Article 217 - Appointment of Judges of High Court

Article 226 - Power of High Courts to issue certain writs (A Person can move to a High Court if his Fundamental Rights are breached)

Article 233 - Appointment of District Judges

Article 239 to 242 (The Union Territories)

Article 240 - Power of President to make regulations for certain Union territories

Article 241 - High Courts for Union territories

Article 243 - Panchayati Raj System (73rd Const. Amendment)

Article 246 - Parliament has exclusive powers to make laws with respect to any of the matters enumerated in the Union List

Article 248 - Central Government to impose service tax

Article 274 - President recommendation is required to the bills affecting taxation

Article 279(A) - Creation of GST Council

Article 280 - Appointment of Finance Commission

Article 300(A) - Right to Property

Article 301 - Freedom to Trade, Commerce, and Intercourse

Article 302 - Power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce, and intercourse

Article 311 - Removal of Civil Servant

Article 312 - All India-Service (UPSC)

Article 320 - Duties & Functions of the Union & State Public Service Commission

Deals with Election (324-329)

Article 324 - Election Commission have power to supervise elections to parliament

Special Provisions to Minorities (330-342)

Article 330 - Reservation of Seats (SC & ST in House of People)

Article 331 - President appoint Anglo-Indian

Article 332 - Reservation of Seats for SC & ST in the Legislative Assembly of the States

Article 333 - Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States.

Article 335 - Reservation of SC & ST (In Services)

Article 338 - National Commission for SC & ST

Article 338B - National Commission for Backward Classes

Languages (343-351)

Article 343 - Hindi (Official Language)

Article 347 - Language Spoken in a section

Article 348 - Languages to be used in the Supreme Court and in the High Courts

Article 348(1) - English is the official language for all the High Courts

Emergency (352-360)

Article 352 - National Emergency

Article 356 - State Emergency (Presidential Rule)

Article 359 - Suspension of Fundamental Rights during Emergency

Article 360 - Financial Emergency

Article 361 - The President or The Governor shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office

Article 368 - Power of Parliament to Amend Constitution

Article 370 - Special provision of J&K

- Article 371 A - Special provision with respect to the State of Nagaland
- Article 371 B - Special provision with respect to the State of Assam
- Article 371 C - Special provision with respect to the State of Manipur
- Article 371 D - Special provisions with respect to the State of Andhra Pradesh or the State of Telangana

Article 371 E - Establishment of Central University in Andhra Pradesh

- Article 371 F - Special provisions with respect to the State of Sikkim
- Article 371 G - Special provision with respect to the State of Mizoram
- Article 371 H - Special provision with respect to the State of Arunachal Pradesh
- Article 371 I - Special provision with respect to the State of Goa
- Article 371 J - Special provisions with respect to the State of Karnataka.

Important Constitutional Amendments

1st Amendment Act, 1951 - It added the Ninth Schedule in the Constitution to protect anti-zamindari laws from judicial review.

7th Amendment Act, 1956 - To implement the recommendations of the State Reorganization Committee and the State Reorganization Act, 1956.

10th Amendment Act, 1961 - Acquired the Dadra, Nagar and Haveli as a Union Territory from Portugal.

12th Amendment Act, 1962 - Added Goa, Daman and Diu in the Indian Union.

13th Amendment Act, 1962 - Formation of State of Nagaland.

14th Amendment Act, 1962 - Incorporated Pondicherry (now Puducherry) as the ninth Union territory of India.

15th Amendment Act, 1963 - Raise Retirement age of High Court judges from 60 to 62.

22nd Amendment Act, 1967 - Formation of State of Meghalaya

24th Amendment Act, 1971 - It enables Parliament to dilute Fundamental Rights through Amendments of the Constitution. It also amended article 368 to provide expressly that Parliament has power to amend any provision of the Constitution.

26th Amendment Act, 1971 - It abolished the privy purses and privileges of former rulers of princely states.

31st Amendment Act, 1973 - Increased the number of Lok Sabha seats from 525 to 545.

36th Amendment Act, 1975 - Formation of Sikkim as a State within the Indian Union.

42nd Amendment Act, 1976 - Also known as "Mini Constitution of India". It amended the Preamble and added the words - socialist, secular and integrity. Fundamental Duties were added.

44th Amendment Act, 1978 - It removed the Right to Property from the list of Fundamental Rights and Converted it into a simple legal right under Article 300A.

52nd Amendment Act, 1975 - Anti Defection Law (10th Schedule).

56th Amendment Act, 1987 - Formation of State of Goa.

61st Amendment Act, 1989 - Reduce age for voting rights from 21 to 18.

65th Amendment Act, 1990 - Establishment of National Commission for SCs & STs

69th Amendment Act, 1991 - To provide for a legislative assembly and council of ministers for National Capital Territory of Delhi. Delhi continues to be a Union Territory.

73rd Amendment Act, 1992 - Added Panchayati Raj System (Part IX) in Constitution.

74th Amendment Act, 1992 - Added Municipalities (Part IX-A) (12th Schedule) in Constitution.

86th Amendment Act, 2022 - It adds new Fundamental duty under Article 51-A. It Provides Right to Education for the age of Six to fourteen years under Article 21A.

88th Amendment Act, 2003 - It added a new subject in the union list called "Taxes on Services".

91st Amendment Act, 2003 - Restrict the size of council of ministers to 15% of legislative members & to strengthen Anti Defection laws.

92nd Amendment Act, 2003 - Added Bodo, Dogri (Dongri), Maithili and Santhali in the Eighth schedule.

100th Amendment Act, 2015 - Land boundary agreement between India & Bangladesh

101st Amendment Act, 2016 - Introduced the Goods and Services Tax.

102nd Amendment Act, 2018 - The National Commission for Backward Classes (NCBC) became a constitutional body.

103rd Amendment Act, 2019 - Granted 10% Reservation for Economically Weaker Sections

104th Amendment Act, 2019 - It ceased the reservation of seats for the Anglo-Indians in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies. It extended the reservations for SCs and STs for up to Ten years.

Important Committees in India

- Swaran Singh Committee (1976) - It recommended inclusion of Fundamental Duties. (42nd Constitutional Amendment)
- Mandal Commission (1979) - It recommended that members of OBCs be given 27% reservations for jobs under the Central government and public sector undertakings. The Committee is headed by BP Mandal.
- Sarkaria Commission (1983) - Its charter was to examine the relationship and balance of power between state and central governments. The Commission was headed by Rajinder Singh Sarkaria.
- Dinesh Goswami Committee (1990) - It was formed to make recommendations on Electoral Reforms.
- Kelkar committee - The committee was set up by India's central government to study and evaluate the public-private partnership (PPP) model in India and it is headed by Vijay Kelkar.
- Malimath Committee Report - The Report deals with Criminal Justice System Reforms. It was constituted by the Ministry of Home Affairs under the chairmanship of Justice V.S. Malimath.

Making Of the Indian Constitution

- संविधान बनाने का विचार दिसंबर 1934 में एमएन रॉय ने दिया था।
- संविधान सभा की मांग को कांग्रेस पार्टी ने 1935 में आधिकारिक मांग के रूप में उठाया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया।
- संविधान सभा में 389 प्रतिनिधि थे, जिनमें 15 महिलाएँ भी थीं। जिनमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 4 दिल्ली, आज़मेर-मेरवाड़ा, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे।
- 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
- 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
- संविधान सभा में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिनों में 11 सत्र हुए।
- 13 दिसम्बर 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
- 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान "जन गण मन" और राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" को अपनाया गया।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किये।
- 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
- 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया।
- 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ।

Extra Pointers

- संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई थी।
- संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे।
- भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा हाथ से लिखा गया था।
- केसी व्हेयर ने भारतीय संविधान को अर्ध-संघीय बताया।
- केएम ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा।
- ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा।
- एनए पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा।
- 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

Chairman of Major Committees of the Indian Constituent

1. प्रारूप समिति - बीआर अम्बेडकर
2. राज्य समिति - जवाहरलाल नेहरू
3. संघ संविधान समिति - जवाहरलाल नेहरू
4. संघ शक्ति समिति - जवाहरलाल नेहरू
5. राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति - राजेंद्र प्रसाद
6. प्रक्रिया समिति के नियम - राजेंद्र प्रसाद
7. संचालन समिति - राजेंद्र प्रसाद

8. प्रांतीय संविधान समिति - वल्लभभाई पटेल
9. संविधान सभा के कार्यों हेतु समिति - जीवी मावलंकर
10. हाउस कमेटी - बी पट्टाभि सीतारमैया
11. भाषा समिति - मोटुरि सत्यनारायण
12. व्यवसाय समिति का आदेश - केएम मुंशी
13. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति - वल्लभभाई पटेल
14. क्रेडेंशियल कमेटी - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

Sources of Indian Constitution

ऑस्ट्रेलिया

- समवर्ती सूची.
- व्यापार की स्वतंत्रता.
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।

कनाडा

- राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केन्द्र द्वारा।
- अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं।

फ्रांस

- "गणतंत्र" की अवधारणा.
- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श।

जर्मनी

- आपातकालीन प्रावधान.
- आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन।

आयरलैंड

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत.
- राष्ट्रपति के चुनाव की विधि.
- राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन।

दक्षिण अफ्रीका

- राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव।
- भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया.

सोवियत संघ (यूएसएसआर)

- मौलिक कर्तव्य.
- पंचवर्षीय योजना की प्रक्रिया.

यूनाइटेड किंगडम (यूके)

- द्विसदनवाद.
- कैबिनेट प्रणाली.
- मंत्री परिषद्
- सीएजी का कार्यालय।
- सरकार का संसदीय स्वरूप।
- लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान।
- कानून का शासन।
- एकल नागरिकता.

संयुक्त राज्य अमेरिका

- मौलिक अधिकार।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग।
- न्यायिक समीक्षा।
- उपराष्ट्रपति का पद.
- प्रस्तावना।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना।
- लिखित संविधान.

Schedules of Constitution

ट्रिक- पुराने पीएम के आंसू

टी - क्षेत्र (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम)

ई - परिलब्धियाँ (वेतन एवं भत्ते)

ए - प्रतिज्ञान (शपथ)

आर - राज्य सभा (राज्यसभा सीटों का आवंटन)

एस - अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन)

ओ - अन्य अनुसूचित क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय के अनुसूचित क्षेत्रों पर प्रशासन)

एफ - संघीय संरचना (तीन सूचियों में विषयों का विभाजन: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची)

ओ - राजभाषा (संघ की भाषा)

एल - भूमि सुधार

डी - दलबदल विरोधी कानून (संसद सदस्य की अयोग्यता)

पी-पंचायती राज

एम - नगर निगम

Parts of Constitution

मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग थे लेकिन अब भारत के संविधान में 25 अनुसूचियाँ हैं।

भाग I - संघ और उसका क्षेत्र (अनुच्छेद 1 से 4)

भाग II - नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 11)

भाग III - मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35)

भाग IV - राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 36 से 51)

भाग IV(ए) - मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51ए)

भाग V - संघ (अनुच्छेद 52 से 151)

भाग VI - राज्य सरकारें (अनुच्छेद 152 से 237)

भाग VII - भाग बी में राज्यों से संबंधित है लेकिन 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया।

भाग VIII - केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 239 से 242)

भाग IX - पंचायत (अनुच्छेद 243 और 243(ओ))

भाग IX(ए) - नगर पालिकाएँ (अनुच्छेद 243-पी से 243-जेडजी)

भाग IX(बी) - सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद 243-जेडएच से 243-जेडटी)

भाग X - अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (अनुच्छेद 244 से 244-ए)

भाग XI - संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245 से 263)

भाग XII - वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे (अनुच्छेद 264 से 300-ए)

भाग XIII - भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग (अनुच्छेद - 301 से 307)

भाग XIV - संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308 से 323)

भाग XIVA - न्यायाधिकरण (अनुच्छेद 323ए - 323बी)

भाग XV - चुनाव (अनुच्छेद 324 से 329ए)

भाग XVI - कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 330 से 342ए)

भाग XVII - राजभाषा (अनुच्छेद 343-351ए)

भाग XVIII - आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352 से 360)

भाग XIX - विविध (अनुच्छेद 361 से 367)

भाग XX - संविधान का संशोधन (अनुच्छेद 368)

भाग XXI - अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 369 से 392)

भाग XXII - संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन (अनुच्छेद 393-395)

Important Articles

अनुच्छेद 1-4 (संघ एवं उसका क्षेत्र)

अनुच्छेद 1 - संघ का नाम और क्षेत्र

अनुच्छेद 2 - नये राज्य का प्रवेश एवं स्थापना

अनुच्छेद 3 - नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

अनुच्छेद 5-11 (नागरिकता)

अनुच्छेद 5 - नागरिकता का प्रावधान

अनुच्छेद 11 - संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है

अनुच्छेद 12-35 (मौलिक अधिकार)

भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 12 - राज्य की परिभाषा

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)

अनुच्छेद 14 - कानून के समक्ष समानता

अनुच्छेद 15 - धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद 16 - सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर

अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का अन्त

अनुच्छेद 18 - उपाधियों का उन्मूलन

अनुच्छेद 18(1) - भारतीय राज्यों को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)

अनुच्छेद 19 - स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19(डी) - संपूर्ण क्षेत्र (अर्थात् भारत) में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार

अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है

अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद 21(ए) - निःशुल्क शिक्षा (6-14 वर्ष के बच्चे: 86वाँ संशोधन 2002)

अनुच्छेद 22 - कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 एवं 24)

अनुच्छेद 23 - मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है

अनुच्छेद 24 - बाल श्रम का निषेध

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)

अनुच्छेद 26 - यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है।

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30)

अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

अनुच्छेद 30 - शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार

अनुच्छेद 31 - हटाया गया (44वाँ संशोधन)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अनुच्छेद 32 - संवैधानिक उपचारों का अधिकार (संविधान का हृदय और आत्मा)

अनुच्छेद 33 - सशस्त्र बल के सदस्यों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किये जायेंगे

अनुच्छेद 35A - जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है

बैटमैन, [07-10-2023 15:29]

अनुच्छेद 36-51 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत)

अनुच्छेद 36 - राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिभाषा

अनुच्छेद 38 - राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा

अनुच्छेद 39 - यह राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है

अनुच्छेद 39(ए) - समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है

अनुच्छेद 40-पंचायती राज की संस्था

अनुच्छेद 42 - मातृत्व राहत के लिए प्रावधान

अनुच्छेद 43 - श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि

अनुच्छेद 43बी - सहकारी समितियों को बढ़ावा देना

अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 46 - एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद 48 - कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है

अनुच्छेद 49 - स्मारकों का संरक्षण

अनुच्छेद 50 - न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

अनुच्छेद 51 - अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा

अनुच्छेद 51(ए) - मौलिक कर्तव्य
भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं

अनुच्छेद 51ए (जी) - वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना।

अनुच्छेद 52-151 (संघ)

अनुच्छेद 52 - भारत के राष्ट्रपति

अनुच्छेद 53 - संघ की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति का चुनाव

अनुच्छेद 55 - राष्ट्रपति के चुनाव की रीति

अनुच्छेद 58 - राष्ट्रपति की योग्यता

अनुच्छेद 59 - राष्ट्रपति कार्यालय की स्थिति

अनुच्छेद 60 - राष्ट्रपति पद की शपथ

अनुच्छेद 61 - राष्ट्रपति पर महाभियोग

अनुच्छेद 63 - भारत के उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 64 - उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा

अनुच्छेद 66 - उपराष्ट्रपति का चुनाव

अनुच्छेद 72 - राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति है

अनुच्छेद 74(1) - मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री हो

अनुच्छेद 75 - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री

अनुच्छेद 76 - भारत के लिए महान्यायवादी

अनुच्छेद 79 - संसद का गठन

अनुच्छेद 80 - राज्य सभा की संरचना

अनुच्छेद 81 - लोकसभा की संरचना

अनुच्छेद 93 - लोकसभा में अध्यक्ष और डीपी होना चाहिए। वक्ता

अनुच्छेद 98 - संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय कर्मचारी

अनुच्छेद 102 - सांसदों की अयोग्यता

अनुच्छेद 105 - संसद भवन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि

अनुच्छेद 108 - दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

अनुच्छेद 109 - धन विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता

अनुच्छेद 110 - धन विधेयक से संबंधित है

अनुच्छेद 112 - वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

अनुच्छेद 114 - विनियोग विधेयक

अनुच्छेद 117 - वित्त विधेयक

अनुच्छेद 120 - संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा

अनुच्छेद 123 - राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति

अनुच्छेद 124 - सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना

अनुच्छेद 124(2) - राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद 125 - न्यायाधीशों का वेतन

अनुच्छेद 129 - उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

अनुच्छेद 140 - उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियाँ

अनुच्छेद 141 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होगा

अनुच्छेद 142 - शीर्ष न्यायालय को कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति है

अनुच्छेद 143 - राष्ट्रपति किसी मामले को परामर्श के लिए उच्चतम न्यायालय भेज सकता है

अनुच्छेद 144 - भारत के सभी नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं

अनुच्छेद 148 - भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

अनुच्छेद 149 - सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ

अनुच्छेद 152 से 237 (राज्य सरकारें)

अनुच्छेद 153 - प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा

अनुच्छेद 154 - राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ

अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

अनुच्छेद 166 - यह राज्यों की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है

अनुच्छेद 167 - मुख्यमंत्री के कर्तव्य

अनुच्छेद 168 - राज्य में विधानमंडल का गठन

अनुच्छेद 198 - धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा

अनुच्छेद 213 - अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

अनुच्छेद 214 - प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 217 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद 226 - कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति (यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है)

अनुच्छेद 233 - जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद 239 से 242 (केंद्र शासित प्रदेश)

अनुच्छेद 240 - कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद 241 - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 243 - पंचायती राज व्यवस्था (73वाँ संविधान संशोधन)

अनुच्छेद 246 - संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं

अनुच्छेद 248 - केंद्र सरकार सेवा कर लगाएगी

अनुच्छेद 274 - कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है

अनुच्छेद 279(ए) - जीएसटी परिषद का निर्माण

अनुच्छेद 280 - वित्त आयोग की नियुक्ति

अनुच्छेद 300(ए) - संपत्ति का अधिकार

अनुच्छेद 301 - व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 302 - व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 311 - सिविल सेवक को हटाना

अनुच्छेद 312 - अखिल भारतीय सेवा (यूपीएससी)

अनुच्छेद 320 - संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य एवं कृत्य

चुनाव से संबंधित सौदे (324-329)

अनुच्छेद 324 - चुनाव आयोग के पास संसद के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति है

अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान (330-342)

अनुच्छेद 330 - सीटों का आरक्षण (लोगों की सभा में एससी और एसटी)

अनुच्छेद 331 - राष्ट्रपति एंग्लो-इंडियन की नियुक्ति करता है

अनुच्छेद 332 - राज्यों की विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण

अनुच्छेद 333 - राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व।

अनुच्छेद 335 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में) का आरक्षण

अनुच्छेद 338 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग

अनुच्छेद 338बी - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

भाषाएँ (343-351)

अनुच्छेद 343 - हिंदी (राजभाषा)

अनुच्छेद 347 - एक खंड में बोली जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 348 - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएँ

अनुच्छेद 348(1) - सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है

आपातकाल (352-360)

अनुच्छेद 352 - राष्ट्रीय आपातकाल

अनुच्छेद 356 - राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)

अनुच्छेद 359 - आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन

अनुच्छेद 360 - वित्तीय आपातकाल

अनुच्छेद 361 - राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे

अनुच्छेद 368 - संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 370 - जम्मू-कश्मीर का विशेष प्रावधान

• अनुच्छेद 371 ए - नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

• अनुच्छेद 371 बी - असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

• अनुच्छेद 371 सी - मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

- अनुच्छेद 371 डी - आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 371 ई - आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
- अनुच्छेद 371 एफ - सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 371 जी - मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 371 एच - अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 371 I - गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 371 जे - कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।

Important Constitutional Amendments

पहला संशोधन अधिनियम, 1951 - इसने जमींदारी विरोधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी।

7वां संशोधन अधिनियम, 1956 - राज्य पुनर्गठन समिति और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की सिफारिशों को लागू करना।

10वां संशोधन अधिनियम, 1961 - दादरा, नगर और हवेली को पुर्तगाल से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्राप्त किया।

12वां संशोधन अधिनियम, 1962 - गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में जोड़ा गया।

13वां संशोधन अधिनियम, 1962 - नागालैंड राज्य का गठन।

14वां संशोधन अधिनियम, 1962 - पांडिचेरी (अब पुडुचेरी) को भारत के नौवें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।

15वां संशोधन अधिनियम, 1963 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 करना।

22वां संशोधन अधिनियम, 1967 - मेघालय राज्य का गठन

24वां संशोधन अधिनियम, 1971 - यह संसद को संविधान में संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कमजोर करने में सक्षम बनाता है। इसने स्पष्ट रूप से यह प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है।

26वां संशोधन अधिनियम, 1971 - इसने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया।

31वां संशोधन अधिनियम, 1973 - लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई।

36वां संशोधन अधिनियम, 1975 - भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन।

42वां संशोधन अधिनियम, 1976 - इसे "भारत का लघु संविधान" भी कहा जाता है। इसने प्रस्तावना में संशोधन किया और शब्द जोड़े - समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।

44वां संशोधन अधिनियम, 1978 - इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300 ए के तहत एक सरल कानूनी अधिकार में बदल दिया।

52वां संशोधन अधिनियम, 1975 - दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची)।

56वां संशोधन अधिनियम, 1987 - गोवा राज्य का गठन।

61वाँ संशोधन अधिनियम, 1989 - मतदान के अधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना।

65वां संशोधन अधिनियम, 1990 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

69वां संशोधन अधिनियम, 1991 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान करना। दिल्ली अब भी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।

73वां संशोधन अधिनियम, 1992 - संविधान में पंचायती राज व्यवस्था (भाग IX) जोड़ी गई।

74वां संशोधन अधिनियम, 1992 - संविधान में नगर पालिकाओं (भाग IX-ए) (12वीं अनुसूची) को जोड़ा गया।

86वां संशोधन अधिनियम, 2022 - यह अनुच्छेद 51-ए के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ता है। यह अनुच्छेद 21ए के तहत छह से चौदह वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

88वां संशोधन अधिनियम, 2003 - इसने संघ सूची में "सेवाओं पर कर" नामक एक नया विषय जोड़ा।

91वां संशोधन अधिनियम, 2003 - मंत्रिपरिषद का आकार 15% विधायी सदस्यों तक सीमित करना और दल-बदल विरोधी कानूनों को मजबूत करना।

92वां संशोधन अधिनियम, 2003 - बोडो, डोगरी (डोंगरी), मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया।

100वां संशोधन अधिनियम, 2015 - भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता

101वां संशोधन अधिनियम, 2016 - माल और सेवा कर पेश किया गया।

102वां संशोधन अधिनियम, 2018 - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) एक संवैधानिक निकाय बन गया।

103वां संशोधन अधिनियम, 2019 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया गया

104वां संशोधन अधिनियम, 2019 - इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण बंद कर दिया। इसने एससी और एसटी के लिए आरक्षण को दस साल तक बढ़ा दिया।

Important Committees in India

- स्वर्ण सिंह समिति (1976) - इसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। (42वाँ संवैधानिक संशोधन)
- मंडल आयोग (1979) - इसने सिफारिश की कि ओबीसी के सदस्यों को केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत नौकरियों के लिए 27% आरक्षण दिया जाए। समिति के अध्यक्ष बीपी मंडल हैं।
- सरकारिया आयोग (1983) - इसका चार्टर राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की जांच करना था। आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सरकारिया थे।
- दिनेश गोस्वामी समिति (1990) - इसका गठन चुनाव सुधारों पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था।
- केलकर समिति - भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा समिति की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष विजय केलकर हैं।
- मलिमथ समिति की रिपोर्ट - यह रिपोर्ट आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों से संबंधित है। इसका गठन गृह मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति वीएस मलिमथ की अध्यक्षता में किया गया था।



Click Here To Join our
Telegram Channel